न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 82/2022
दिनांक दायर : 27.07.2022

अनवान

1. मोहसिन पठान पिता मोजम हुसैन जाति पठान निवासी नेशनल पब्लिक स्कूल के पास शास्त्री नगर भीलवाड़ा।
2. सोहेल खान पठान पिता मोजम हुसैन जाति पठान निवासी नेशनल पब्लिक स्कूल के पास शास्त्री नगर भीलवाड़ा।

प्रार्थीगण...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थी...

उपस्थित :–

1. श्री सत्यनारायण माली (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.12.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरपुरा पटवार हल्का जालिया के खाता संख्या 207 की आराजी संख्या 606/507 रकबा 0.1619 हेक्टेयर व खाता संख्या 4 की आराजी संख्या 518/10 रकबा 0.4047 हेक्टेयर व खाता संख्या 153 की आराजी संख्या 520/10 रकबा 0.4856 हेक्टेयर भूमि है प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि पर आने जाने एवं बैल, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु ग्राम केरपुरा पटवार हल्का जालिया के खाता संख्या 1 की आराजी संख्या 10 रकबा 14.9329 हेक्टेयर गेमू रडी भूमि जो विपक्षी की है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि आराजीयात पर पंहुचने के लिये ग्राम केरपुरा मे एन. एच. 758 से होते हुये बिलानाम आराजी संख्या 10 मे होते हुये आराजी संख्या 607/507 के पास से होते हुये आराजी संख्या 520/10 में पंहुचता है। उक्त रास्ता 30 फीट रास्ता घोषित किया जाना न्याय न्याय संगत है। उक्त रास्ते को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है विपक्षी की रास्ते में जो भी भूमि कटेगी उसका न्यायालय प्रतिकर प्रार्थी अदा करने को तैयार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी को ग्राम केरपुरा पटवार हल्का जालिया में स्थित खाता संख्या 4 की आराजी संख्या 518/10 रकबा 0.4047 हेक्टेयर व खाता संख्या 153 की आराजी संख्या 520/10 रकबा 0.4856 हेक्टेयर भूमि में आने जाने संज बेल टेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु विपक्षीगणो की आराजी संख्या 10 से होते हुये प्रार्थी की आराजी संख्या 520/10 में प्रार्थी की आराजियात तक 30 फीट चोडा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज तलब किया गया। विपक्षी राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दी एवं मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया।

दिनांक 10.10.2022 को तहसीलदार माण्डलगढ के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/68 दिनांक 10.10.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत करवाया कि प्रार्थीगण मोहसिन सोहेल खान पठान पिता मोजम हुसैन पठान निवासी भीलवाडा की ग्राम कैरपुरा पटवार हल्का जालिया के आराजी संख्या 606/507, 518/10, 520/10 किता 03

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ

बा 1.0522 हैक्टेयर नाम खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज होकर उक्त भूमि पर पहुंचने हेतु जस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पहुंचने हेतु सरकारी रास्ता पलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर पहुचने हेतु भीलवाडा–बीगोद सडक ग्राम कैरपुरा की बिलानाम आराजी संख्या 10 रकबा 14.9329 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा या है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि र पहुचने हेतु वर्तमान से उक्त रास्ते का उपयोग कर रहे है। उक्त रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होकर अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही होने से उक्त रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते के हेतु ग्राम कैरपुरा की बिलानाम आराजी संख्या 10 रकबा 14.9329 हैक्टेयर किस्म गै.मू. रडी मे से 132 फीट लम्बाई व 30 फीट चौडाई में कुल 0.0368 हैक्टेयर भूमि का उपयोग होगा। ग्राम कैरपुरा पटवार हल्का जालिया की (0 से 100 मीटर तक) वर्तमान डी.एल.सी. दर 2225982 रूपये प्रति हैक्टेयर से प्रस्तावित रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि 0.0368 हैक्टेयर भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 164128 रूपये अर्थात कुल प्रतिभुति राशि 164128 रूपये बनती है।

दिनांक 09.12.2022 को हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा एवं दिनांक 10.10.2022 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 0.0368 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0368 हैक्टेयर बिलानाम भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 2225982 रुपया प्रति हैक्टेयर से 164128 रुपया भूमि का बनता है। जो सम्पूर्ण बिलानाम सरकार की है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतित होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(I I) () के अनुसरण में प्रार्थीगण मोहसिन सोहेल खान पठान पिता मोजम हुसैन पठान निवासी भीलवाडा की ग्राम कैरपुरा पटवार हल्का जालिया के आराजी संख्या 606/507, 518/10, 520/10 किता 03 रकबा 1.0522 हैक्टेयर पर पहुचने हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ग्राम कैरपुरा पटवार हल्का जलिया की बिलानाम आराजी संख्या 10 रकबा 14.9329 हैक्टेयर किस्म गै.मू. रडी मे से (132 फीट लम्बाई व 30 फीट चौडाई) 0. 0368 हैक्टेयर भुमि, जिसकी वर्तमान सिंचित 0 से 100 मीटर की डी.एल.सी. दर 2225982 रुपया प्रति हैक्टेयर से दुगना 164128 रुपया प्रार्थीगण द्वारा राजकोष मे मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 09.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ